



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]  
No. 166]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

भारतीय दंत्य परिषद्  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2012

फा. सं. डी.ई.-22-2012.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) के साथ पठित दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1993 के खंड 10ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दंत्य परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से "भारतीय दंत्य परिषद् (नए दंत्य कालेजों की स्थापना, दंत्य कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006" सम्बन्धी प्रधान विनियम, 2006 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन.—(1) ये विनियम भारतीय दंत्य परिषद् (नए दंत्य कालेजों की स्थापना, दंत्य कालेजों में अध्ययन अथवा प्रशिक्षण नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. प्रधान विनियम, 2006 के विनियम 6 के उप-विनियम (2) की धारा (ज) को एतद्द्वारा निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"(ज) प्रार्थी अपने प्रस्तावित कालेज को भारतीय दंत्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यताप्रदत्त ऐसे सरकारी/निजी चिकित्सा कालेज के साथ सम्बद्ध करेगा जो सड़क मार्ग से प्रस्तावित दंत्य कालेज से 10 किलो मीटर की दूरी पर होगा और उपर्युक्त चिकित्सा कालेज के संबंध में इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करेगा की वह समय-समय

पर यथासंशोधित संबंधित स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दंत्य पाठ्यक्रम विनियमों में निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या के अनुसार प्रस्तावित दन्त कालेज के छात्रों के प्रशिक्षणों को सुविधापूर्ण बनाएगा :

लेकिन शर्त ये है कि चिकित्सा कालेज के साथ एक से अधिक दंत्य कालेज सम्बद्ध नहीं किया जाएगा।

(जज) स्थापित तथा ऐसा/ऐसे मौजूदा दंत्य कालेज जिसे/जिन्हें प्रधान विनियमों के अधीन पी. जी. दंत्य पाठ्यक्रम में दाखिला क्षमता बढ़ाने अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने के अनुमति दी जा चुकी है, समय-समय पर यथासंशोधित प्रधान विनियम, 2006 के प्रावधानों द्वारा इसी प्रकार शासित होते रहेंगे :

लेकिन शर्त यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 के खण्ड 10ए के अधीन मुख्य तथा मैक्सीलोफेशियल सर्जरी की विशेषता में एम. डी. एस. पाठ्यक्रम शुरू करने की कोई अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक की ऐसा पाठ्यक्रम शुरू करने का इच्छुक दंत्य कालेज भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्रदत्त ऐसे सरकारी/निजी कालेज से सम्बद्ध न हो जो कि सड़क मार्ग से 10 किलो मीटर की दूरी पर स्थित हो।"

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. एस. के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/98/12/असा.]

टिप्पण :—1. प्रधान विनियम, नामतः भारतीय दंत्य परिषद् (नए दंत्य कालेजों की स्थापना, दंत्य कालेजों में अध्ययन

अथवा प्रशिक्षण के नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम खोलना और प्रवेश क्षमता बढ़ाना) विनियम, 2006 भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4, में 12 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।

2. प्रधान विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 16 जनवरी, 2006 को प्रकाशित।
3. प्रधान विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 21 फरवरी, 2006 को प्रकाशित।
4. प्रधान विनियमों में तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खंड 4 में 3 नवम्बर, 2006 को प्रकाशित।

### DENTAL COUNCIL OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2012

**F. No. DE-22-2012.**— In exercise of the powers conferred by Section 10A of the Dentists (Amendment) Act, 1993 read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India, with the previous approval of the Central Government, further amends the principal Regulations called "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006" as under :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (4th Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Clause (h) of sub-regulation (2) of Regulation 6 of the principal Regulations 2006 is hereby substituted with the following :—

"(h) the applicant shall attach its proposed dental college with a Government/Private Medical College approved/recognised by the Medical Council of India which is located at the distance

of 10 kms. by road from the proposed dental college and produce evidence of the said Medical College to the effect that it would facilitate training to the students of the proposed dental college as per syllabus/course curriculum prescribed in respective undergraduate and post graduate dental course regulations as amended from time to time :

Provided that not more than one dental college shall be attached with the medical college.

(hh) the existing dental college(s), established or permitted to increase the admission capacity in UG and PG dental courses or permitted for starting of higher courses, under the principal regulations, 2006, shall continue to be so governed by the provisions of the principal Regulations 2006, as amended from time to time :

Provided that, no permission for starting of MDS Course in the speciality of Oral and Maxillofacial Surgery shall be granted by the Central Government u/s 10A of Dentists (Amendment) Act, 1993 unless and until the desirous existing dental college is attached with a Government/Private Medical College approved/recognised by the Medical Council of India located at the distance of 10 kms. by road."

Col. (Retd.) Dr. S. K. OJHA, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/98/12/Exty.]

- Note :—1. The Principal Regulations, namely, the Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) Regulations, 2006, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 12-1-2006.
2. The 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 16-1-2006.
3. The 2nd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 21-2-2006.
4. The 3rd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 2-11-2006.